



राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर

क्रमांक.एफ1(11)/शैक्ष.प्रथम/2024/

दिनांक:

प्रेषित:

सीनेट के समस्त सदस्यगण

महोदय/महोदया,

निर्देशानुसार लेख है कि दिनांक 23 मई, 2024 को सम्पन्न हुई सीनेट की विशेष बैठक का कार्यवाही विवरण आपको अवलोकनार्थ प्रेषित किया जा रहा है।

आपसे अनुरोध है कि कार्यवाही विवरण के बारे में अगर आपकी कोई टिप्पणी हो तो इस कार्यालय के पत्र प्रेषित करने की दिनांक से 10 दिन की अवधि में अवगत कराने का कष्ट करें अन्यथा यह समझा जाएगा कि आपको कोई आपत्ति नहीं है।

भवदीय,

—Sel—

(अवधेश सिंह)

कुलसचिव

संलग्न: उपरोक्तानुसार

क्रमांक.एफ1(11)/शैक्ष.प्रथम/2024/39440-55

दिनांक: 20/6/24

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. निजी सचिव, माननीय कुलाधिपति एवं राज्यपाल, राजभवन, जयपुर।
2. सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप 4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. परीक्षा नियंत्रक, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
4. वित्त नियंत्रक एवं वित्तीय सलाहकार, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. समस्त उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
6. जनसम्पर्क अधिकारी, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
7. निजी सचिव, माननीय कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
8. निजी सहायक, कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
9. निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से निवेदन है कि संलग्न कार्यवाही विवरण को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर यथा स्थान अपलोड करने का श्रम करें।

Raj Tan
(राजकुमार जैन) 20/06/24

उप कुलसचिव, (शैक्ष. प्रथम)



राजस्थान विश्वविद्यालय

जयपुर

दिनांक 23 मई, 2024 को प्रातः 11:30 बजे सीनेट हॉल, कुलपति सचिवालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में सम्पन्न हुई सीनेट की विशेष बैठक का कार्यवाही विवरण :-

उपस्थिति :

प्रो. अल्पना कटेजा कुलपति (अध्यक्ष)

2. डॉ. अखिल शुक्ला
3. प्रो. अरविन्द विक्रम सिंह
4. प्रो. अंजलिका शर्मा
5. प्रो. अर्चना श्रीवास्तव
6. प्रो. सी.वी. डाबरिया
7. प्रो. दीपा एस.पी. माथुर
8. डॉ. दीपिका विजयवर्गीय
9. प्रो. एच. एस. पलसानिया
10. प्रो. इशरत उल्लाह खान
11. प्रो. जयन्त सिंह
12. प्रो. कृष्णा गुप्ता
13. डॉ. केशव बडाया
14. प्रो. ममता गोयल
15. प्रो. एन.सी. गौतम (Joined online mode)
16. डॉ. निक्की चतुर्वेदी
17. प्रो. नरेश कुमार
18. डॉ. नीमिषा गौड
19. प्रो. ओ. पी. शर्मा
20. प्रो. ओम प्रकाश महला
21. प्रो. प्रदीप शर्मा
22. प्रो. प्रकाश शर्मा
23. प्रो. रश्मि जैन
24. प्रो. राजेश कुमार
25. प्रो. राम नारायण शर्मा
26. प्रो. राम सिंह चौहान
27. प्रो. आर.के. सिंघल
28. डॉ. राजेश कुमार शर्मा
29. प्रो. सीमा श्रीवास्तव
30. प्रो. सुनीता अग्रवाल
31. प्रो. शैलेन्द्र कुमार गुप्ता
32. श्री सुरेश मिश्रा
33. प्रो. श्याम मोहन अग्रवाल
34. प्रो. सीमा अग्रवाल
35. प्रो. एस.एस. सोमरा

P

36. डॉ. संजुला थानवी
37. प्रो. एस.एन. डोलिया
38. प्रो. उर्वशी शर्मा
39. प्रो. वन्दना कल्ला
40. डॉ. यदु शर्मा

अवधेश सिंह, कुलसचिव

(सदस्य-सचिव)

कुलपति महोदय ने सभी सीनेट सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात् कुलपति की अनुमति से कुलसचिव ने उपाधि प्रदान अनुग्रह बैठक का समारम्भ किया।

कुलपति महोदय ने सदन को अवगत कराया कि माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा राजस्थान विश्वविद्यालय का दीक्षान्त समारोह दिनांक 19-06-2024 को आयोजित करने हेतु अनुमति प्रदान की है, जिसकी अनुपालना में उक्त निश्चित दिवस को राजस्थान विश्वविद्यालय का 33वाँ दीक्षान्त समारोह आयोजित किया जा रहा है। दीक्षान्त समारोह से पूर्व सीनेट द्वारा वर्ष 2022 की परीक्षाओं में सफल परीक्षार्थियों एवं दिनांक 01-11-2022 से 29-02-2024 तक स्वीकृत पीएच.डी. उपाधियों पर अनुग्रह पारित करने हेतु आज सीनेट की विशेष बैठक आयोजित की गई है।

तत्पश्चात् कुलपति की अनुमति से उपाधि प्रदान अनुग्रह बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

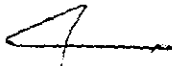
1. सीनेट ने विश्वविद्यालय की वर्ष 2022 में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में सफल परीक्षार्थियों एवं दिनांक 01-11-2022 से 29-02-2024 तक की स्वीकृत पीएच.डी. उपाधियों पर निम्नानुसार अनुग्रह पारित किया :-

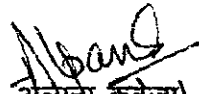
क्रम संख्या	संकाय का नाम	पी.एच.डी.	अन्य	कुल
1.	कला संकाय	76	76765	76841
2.	विज्ञान संकाय	137	30972	31109
3.	समाज विज्ञान संकाय	165	12594	12759
4.	वाणिज्य संकाय	50	17907	17957
5.	प्रबन्ध संकाय	03	131	134
6.	ललित कला संकाय	18	393	411
7.	विधि संकाय	15	4261	4276
8.	शिक्षा संकाय	03	22636	22639
9.	सी.सी.टी. (अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय के अधीन)	-	13	13
कुल उपाधियाँ		467	165672	166139

2. राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 20(ब) के अन्तर्गत सिंडिकेट के निम्न संख्या 05 दिनांक 25-06-2018 द्वारा पारित स्टेट्यूट्स में परिवर्तन/परिवर्धन/संशोधन जो कि परिशिष्ट-‘क’ में दिये गये हैं पर विचार-विमर्श कर सर्वसम्मति से स्वीकार किया।

3. सीनेट ने राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 20(ब) के अन्तर्गत सिंडिकेट द्वारा पारित (वर्ष 2012 से मई, 2024 तक) अध्यादेशों में परिवर्तन/परिवर्धनों/संशोधनों पर जो कि परिशिष्ट-‘ख’ में दिये गये हैं पर विचार-विमर्श कर सर्वसम्मति से स्वीकार किया।

कुलपति महोदया ने सभी माननीय सदस्यों से विश्वविद्यालय के 33वें दीक्षान्त समारोह में उपस्थित होने का आग्रह किया। सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुये कुलपति महोदया ने यह विश्वास दिलाया कि सीनेट के माननीय सदस्यों के सहयोग से विश्वविद्यालय का शैक्षणिक गौरव बढ़ाने का सतत प्रयत्न करते रहेंगे। बैठक सधन्यवाद समाप्ति की घोषणा की गई।


(अवधेश सिंह)
कुलसचिव


(प्रो. अल्पना कटेजा)
कुलपति